

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०ए०

उत्तवान

..... ज्ञानापीसिंह आदि बनाम जयकरणी आदि

दावा बाबत :- 88 RTA-1

मुकदमा नम्बर :- 302/2021

निर्णय दिनांक :- 06-10-2021

वादी की ओर से वकील सुरेश केनीवाल की व प्रतिवादी सं० 152 की ओर से वकील लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि सोही मौजा गढडा के खाला सं० 98/96 के खसरा सं० 15 की 2.654 हेक्टेयर, खसरा सं० 438 की 13.468 हेक्टेयर कुल 16.162 हेक्टेयर कारानी खेतयारी में प्रतिवादी सं० 1 जयकरणी के नाम में हिस्सा खेतयारी मूल में से प्रतिवादी सं० 1 जयकरणी का नाम कलभरण किया जाकर वादीगण का हिस्सा करावर के खेतयार आशतकार बौधित किया जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में हथोता कर अन्य कर लिया है इसलिए ल्यागों किया गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को द्यु पंजीयन प्रकृत एवं स्थाय्य उमरी अथ करण व वापसुमि कर के रदन हो तो रदन मुक्त होने के उपरान्त ही खणसु रिमांड में कामसु प्रारम्भ किया जाव। राजीनामा का डिक्री का माता प61 जाव।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुन्तला चौधरी)
 R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़
 20.10.2021

2168.1